भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE
भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES COURT FEE

निगरानी प्रकरण क्र.-- / 2018

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर केम्प इंदौर के समक्ष

निगरानी-5526/2018/इंदौर/भू.रा.

श्री कैलाश पिता जगन्नाथ पाटीदार

निवासी– ग्राम जोशी गुराडिया तह. महू जिला इंदौर ...प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्रीमती अश्लेषा पति दिलीपसिंह
2. श्रीमती माननी पति प्रदीप बारगल

निवासीगण– 18/3, न्यू पलासिया इंदौर ...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

इसमे प्रार्थी द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 329/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2018 से असतुंष्ट होकर नीचे लिखे आधारो पर अपील प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

यह कि, प्रतिप्रार्थी ने श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा सिमरोल तह. डॉ. अम्बेडकर नगर महू के समक्ष म.प्र. भूराजस्व संहिता की धारा 126 एवं धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि, ग्राम जोशी गुराडिया तह. महू जिला इंदौर स्थित कृषि भूमि सर्वे न. 268 रकबा 0.065 हे. सर्वे न. 280 रकबा 0.085 कुल रकबा 0.150 हेक्टर की भूमि राजस्व अभिलेख मे उसके नाम से अंकित हैं। प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से करवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि, प्रतिप्रार्थीगण कि, भूमि सर्वे क्र. 268 रकबा 0.065 हेक्टर पर प्रार्थी प्रहलाद पिता जगन्नाथ पाटीदार कुलमी निवासी जोशी गुराडिया का अवैध कब्जा पाया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका पंचनामा, भूमि का नजरी नक्शा तथा फिल्ड बुक के अनुसार नपती कि गई उसका पूर्ण विवरण दिया गया इसलिए प्रार्थी का अवैध कब्जा होने से कब्जा दिलाया जावे। उस पर रा.प्र.क्र. 2/अ–70/2008–09 पर प्रकरण दर्ज किया गया।

कैलाश / अश्लेषा

R/55र26 /18/ इन्दौर/स.रा. इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ... अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/19	आवेदक अभि० श्री वी० के० गुप्ता व अना० कु० 1, 2 अभि० श्री योगेश चन्द मारकन उप०। आवेदक अभि० द्वारा बताया गया कि पक्षकार मेरे से फाईल वापस ले गये है इस कारण प्रकरण में पैरवी करने में असमर्थ हूँ आवेदक श्री कैलाश की ओर से कोई उप० नहीं। आवेदक श्री कैलाश को समय-समय पर पुकार लगवाई गई। फिर भी कोई उप० नहीं। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	Ad. P. Shoy. 21/8/19